न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 180/2015

निर्णय दिनांक :– 12.9.19

उनवानी दावा :

1. पूरणमल पुत्र चान्दल्या जाति सांसी ग्राम पोल्याडा, तहसील देवली, जिला–टोंक
   1/1 नर्बदा देवी पुत्री स्व0 पूरणमल पत्नि ज्ञानसिंह जाति सांसी निवासी ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला–टोंक
   1/2 राणी देवी पुत्री स्व0 पूरणमल पत्नि श्यामसुन्दर जाति सांसी निवासी ग्राम निल का अरणियां तहसील टोंक जिला–टोंक
   1/3 प्रधान देवी पुत्री स्व0 पूरणमल पत्नि स्व0 धर्मेन्द्र जाति सांसी निवासी ग्राम कासीर तहसील देवली जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1.श्योजी पुत्र श्री किशना जाति मीणा निवासी कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक
2.भंवर पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक
3.नेता पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक
4.हीरा पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक
5.रतन पुत्र किशना जाति मीणा निवासी कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक
6.शैतान पुत्र जाति मीणा निवासी ग्राम कुशालपुरा, तहसील देवली, जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
व शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी पैतृक खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 39 ख0नं0 500 रकबा 1.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में वादी के पिता राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। लेकिन वादी के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उक्त आराजी का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खुल चुका है। वादी की उक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना एवं संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण धनबलशाली राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं एवं वादी की निर्धनता एवं शराफत का अनुचित लाभ उठाकर लठ के जोर पर वादी की आराजी ख0नं0 500 रकबा 1.81 है0 पर हांक–जोतकर फसल काश्त करने पर आमादा है और वादी को अनाधिकृत

रूप से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिससे वादी को हांक–जोत काश्त में बाधा उत्पन्न हो रही है। वादी उक्त आराजी को हांकने के लिए मौके पर गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त आराजी में घूंसने नहीं दिया और वादी के साथ लडाई–झगडा व मारपीट करने पर आमादा हो गये और सभी प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया जान से मारने की धमकी दी कि वादी में दम हैं तो हमें (प्रतिवादीगण) को काश्त करने से रोक के बताये। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे उक्त अतिक्रमण के प्रयास को नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी कब्जे–काश्त की जमीन पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगें तथा वादी को उसकी भूमि से वंचित कर बेदखल कर देगें। जिससे वादी को काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से की जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से सदा के लिए पाबंद किया जावें कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उम्पन्न नहीं करे, वादी को उक्त आराजी में फसल काश्त करने, हांकने–जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के साथ लडाई–झगडा नहीं करे तथा पाबंद रहें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मीणा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अधिवकक्ता प्रतिवादी ने जवाब में सभी चरणों को गलत व अस्वीकार बताते हुए विशेष कथन में बताया कि वादीगण नं. 1 के पिता मांग्या पुत्र औकार जाति मीणा निवासी कुशाालपुरा को साबिक ख. नं. 2867 आवंटन हुई थी जिसके बाद में ख. नं. साबिक 3211 रकबा लगभग साढे 7 बीघा है। उक्त आराजियात राजमहल में आवंटन हुई थी और आवंटन से लेकर आज तक उक्त आरजयात पर प्रतिवादी गण नं. 1 के पिता व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 का कब्जाकाश्त रहा है। साबिक ख. नं. 3211 से 4213 रकबा 1.81 है0 बने और उसके बाद उक्त आरजीयात के हाल ख. नं. 500 रकबा 1.81 है0 जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से है जो गलत है। प्रतिवादीगण ने. 1 ने एक दावा श्रीमान सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्ड नायक कोर्ट नं. 2 के यां एक वाद बाबत ईसतकरार हक ,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके बाद वाद संख्या 480/1977 था। उक्त वाद में श्रीमान जिलाधीश महोदय ने तिदनांक 1.06.1978 को आदेश प्रदान किया कि आराजी भूमि ख. नं. 3211 रकबा लगभग साढ 7 बीघा वाके ग्राम राजमहल तहसीलद देवली को प्रकितवादीगण नं. 1 श्योजी पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी कुशालपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादी के पिता को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदासदा के लिए पाबन्द यिका गया था। प्रतिवादी नं. 1 ने एक इजरा श्योजी बनात चान्दमल के नाम से श्रीमान के समक्ष पेश की थी जिसमें श्रीमान ने दिनांक 01.07.2011 को श्रीमान तहसीलदार देवली को तहरीर के साथ पारित निर्णय डिक्री प्रमाणित प्रति भेजकर मुताबिक निर्णय पालना करने का आदेश प्रदान किया था। अतः श्रीमान से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी मे नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 पूरणमल पुत्र चान्दल्या, पी. डब्ल्यू–2 कंवरसिंह पुत्र हन्या जाति सांसी निवासी पोल्याड़ा के पेश किये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू –1 से 4 क्रमशः श्योजी पुत्र श्री मांगीलाल, खानाराम पुत्र श्री भूरा मीणा, किशनलाल पुत्र श्री सुखलाल जाट, घीसालाल पुत्र श्री बरदा बलाई निवासी कुशालपुरा पेश किये।

पत्रावली बहस में नियत की गई। पत्रावली दिनांक 23.12.15 से बहस में नियत रही। उभयपक्ष अधिवक्तागण के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। 3 वर्ष 8 माह से अधिक समय व पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 बहस मे उपस्थित नहीं हुए। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी भूमि चान्दल्या पुत्र बरधा सांसी को आवंटन हुई तब से अब तक निर्बाध रूप वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जो डिक्री ली वह एकतरफा डिक्री थी जिसकी पालना 33 साल बाद पेश की गई। जबकि 12 वर्ष बाद किसी भी डिक्री की वैधता समाप्त हो जाती है। और न्यायालय में पेश किया गया इजरा प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है जिसकी बाजदायरी न्यायालय में विचाराधीन है जबकि किसी भी इजरा प्रार्थना को नम्बर पर लिये जाने हेतु कोई बाजदायरी लगने का प्रावधान नियमों मे नहीं है। ऐसी स्थिति में इस डिक्री की वैधता समाप्त हो जाती है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज इस पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि यह आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को आवंटित हुई थी और प्रतिवादीगण को कब्जाकाश्त चल रहा है । अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उम्पन्न नहीं करे, वादी को उक्त आराजी में फसल काश्त करने, हांकने–जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के साथ लडाई–झगडा नहीं करे तथा पाबंद रहें।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. **आया वादी विवादित आराजी ख. सं. 500 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील देवी जो कि खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से उपयोग–उपभोग मं बाधा नही करने एवं फसल काश्त करने, हांकने–जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पाबन्द करने का हकदार है?**

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इसके लिए जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2032–35 ग्राम राजमहल पेश की है जिसके कॉलम नं. 5 में चांदल्या पुत्र बिरधा सांसी सा. पोल्याड़ा खातेदार व कॉलम नं. 6 में ख. नं. 3211 कॉलम 7 में रकबा 7 बीघा 10 बिसवा अंकित है। मिलान क्षैत्रफल ग्राम राजमहल सम्वत 2045–65 में ख. नं. 3211 से 4213, मिलान क्षैत्रफल ग्राम राजमहल सम्वत 2045–65 में ख. नं. 4213 से 500 बनना दर्शाया है। जमाबन्दी सम्वत 2068–71 ग्राम राजमहल में पूरणमल पुत्र चान्दल्या सांसी सा. पोल्याड़ा खातेदार राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में नामान्तकरण संख्या 193 में खातेदार नर्बदा, राणी, प्रधान पुत्रियां पूरणमल कोम सांसी अंकित है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का खातेदार चान्दल्या पुत्र

बिरधा सांसी था जिसकी मृत्यु के बाद इसका फौती नामान्तकरण इसके वारिस पूरणमल के नाम खोला गया और पूरणमल की मृत्यु के पश्चात इसका फौती नामान्तकरण इसकी पुत्रियों के नाम खोला गया जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार की हैसियत रखती है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की हकदार है। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीपक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादी का वाद गलत एवं अस्वीकार योग्य है?

–प्रतिवादीगण 1 ता 3 –

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पर था इसके लिए सत्यप्रतिलिपी आदेश डिक्री वाद संख्या 480/77 निर्णय दिनांक 06.01.78 पेश किया जिसकी पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 1.7.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। यह इजराय लगभग 33 वर्ष बाद पेश की गई है। जबकि 12 वर्ष बाद किसी भी डिक्री की पालना निष्पादित नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये मिलान क्षैत्रफल संम्वत 2046–65 व 2056–59 से ख. नं. 3211 से 4213 व 4213 से 500 बनना साबित है। प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र के अलावा ऐसे कोई राजस्व दस्तावेज भी पेश नहीं किये है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जाकाश्त है। अतः राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि आराजी ख. नं. 500 रकबा 1.81 है0 वादीगण की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की हैसियत रखने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का हकदार है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 500 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल में स्वयं, अन्य माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे और वादी के साथ इस आराजी बाबत किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा न करे। पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 12.9.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली